

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -18/2016 (आवंटन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00127

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--प्रार्थी.

बनाम

भागीरथ आत्मज मांगीलाल जाति चमार निवासी उण्डवा तहसील
रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 29/10/2024

- 1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा के आराजी खसरा नम्बर 440 की 0.01 हे०, ख०नं० 441 की रकबा 0.26 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
- 2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी दिनांक 6.10.2016 को उपस्थित किन्तु उसके बाद अनुपस्थित रहने से तथा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 14.2.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।
- 3 परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा तह० रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 440 की 0.01 हे०, ख०नं० 441 की रकबा 0.26 हे०, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

- 4 हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 440 की 0.01 हे०, ख०नं० 441 की रकबा 0.26 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा आवंटन शर्तों की हवहेलना की जाने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 440 की 0.01 हे०, ख०नं० 441 की रकबा 0.26 हे० भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा